न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या– 52/2023
GCMS NO- 2023/98

वाली बाई पुत्री किशना जी पत्नि मांगीलाल जी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल हा.मु. नपावली जिला चित्तौडगढ राज०।

–प्रार्थीया

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० विपक्षीगण

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय गोरव सेठिया – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 26.04.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि वाके मौजा गांगरोल तह० निम्बाहेडा की पुरानी **खाता संख्या 581** की आराजी न0 1940 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी न0 2650 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 5700 हैक्टेयर, **खाता संख्या 582** की आराजी न0 1937 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, आराजी न0 2655 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4500 हैक्टेयर स्थित है। जो सम्वत् 2067–70 की जमाबन्दी में प्रार्थीया के 1/4 हक हिस्से में दर्ज रेकॉर्ड था परन्तु राजस्व कार्मिकों की त्रुटि से सम्वत् 2068–71 की जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम का जान बुझकर अंकन नही किया एंव ना ही सम्वत् 2072–75 एंव सम्वत् 2077–80 की जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम का व हिस्से का अंकन किया, इस बाबत प्रार्थीया ने विपक्षी को कई मर्तबा निवेदन किया परन्तु विपक्षी ने उक्त त्रुटि को दुरस्त नही करी, ना ही प्रार्थीया का नाम खाते में दर्ज किया। जिससे मजबुर होकर प्रार्थीया को यह आवेदन पत्र इन्द्राज दुरस्ती श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः प्रांर्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मांगरोल की वर्तमान खाता सं 499 एंव 549 मय प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा दर्ज करने का आदेश करावें

2. हमने प्रकरण को दर्ज करके तहसीलदार को सूचना पत्र जारी कर प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जांच रिपोर्ट ली गयी । तहसीलदार द्वारा आपकी जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं कि ग्राम मांगरोल की पुरानी आ.न. 197, 200, 203, 206, 497, 499, 1532 किता 7 रकबा 20–19 बीघा एंव आराजी नम्बर 207 चाह को किसना पिता प्यारा कुम्हार के नाम दर्ज थी जरिये **नामान्तरण सख्या 340 विरासत से श्री मां[illegible] प्यारा, उंकारलाल पिता किसना कुम्हार के नाम दर्ज हुई।**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:58 IST
Reason: SelfAttested

3. .उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 15/08 से उक्त नामान्तरण संख्या 340 को निरस्त कर पुनः जांच कर नया नामान्तरण दर्ज करने का [illegible] प्रदान किये जिसकी पालना में **नामान्तरण संख्या 2590 से खाता श्री मांगीलाल, उंकारलाल पिता किसना 1/2 देवीलाल पिता प्यारा, शांतिबाई, पपलीबाई, लीलाबाई ,गंगाबाई पिता प्यारा कस्तुरी बेवा प्यारा 1/4 वालीबाई पुत्री किसना 1/4 कुम्हार के नाम खाता दर्ज किया गया।** उसके बाद उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा अपील नामान्तरण 13/2010 दर्ज होकर दिनांक 26.12.2011 को निर्णित

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

किया गया जिसमें अपील स्वीकार करते हुए नामान्तरण सख्या 2590 को निरस्त किया गया । तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पुनः सुनवाई करके पुनः नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा पत्रावली 47/2012 कायम की गयी जिसका निर्णय 14.08.2012 को पारित किया गया एवम् किशनलाल की विरासत निम्न प्रकार के दर्ज करने के आदेश दिये । श्री मोहनलाल गीताबाई धापूबाई पिता मांगीलाल 1/4 श्री उंकारलाल पिता किशनलाल 1/4 देवीलाल शांतिबाई पपलीबाई लीलाबाई गंगाबाई पिता प्यारा कस्तुरी बेवा प्यारा 1/4 श्रीमति वालीबाई कुम्हार 1/4 के नाम दर्ज किया उक्त आदेश की पालना अब तक नही हुई ।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को का अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि उक्त विवादित आराजीयात के मूल पुरूष किसना पिता पेमा कुम्हार थे जिनकी विरासत का नामांतरण सख्या 340 दिनांक 14.06.1969 द्वारा किसना पिता पेमा के बजाय मांगीलाल, प्यारा, उंकारलाल पिता किसना के नाम दर्ज हुआ । उक्त नामांतरण की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा के समक्ष की गयी जिसके प्रकरण संख्या 15/08 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 5.2.2009 को नामांतरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजा गया कि दोनो पक्षो की विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करें । तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा नामान्तरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 द्वारा उक्त नामांतरण को निर्णित किया गया । अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरण की अपील उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा को की गयी एवम् उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 13/2010 अपील दर्ज कर अपील को दिनांक 26.12.2011 को स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि नामांतरण सख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार न्यायालय को भेजी गयी एवम् तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा आदेश की पालना में प्रकरण संख्या 47/2012 दर्ज कर निर्णय दिनांक 14.08.2012 को निर्णित किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी नम्बर 197, 200, 203, 206, 497, 499, 1532 किता 7 रकबा 20–19 बीघा एंव आराजी नम्बर चाह सख्या 207 रकबा 0.07 बिस्वा में दर्ज 5/21 हिस्सेदार खातेदार किसनलाल पिता पेमा कुम्हार की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान श्री मोहनलाल, गीताबाई, धापूबाई पिता मांगीलाल 1/4, उंकारलाल पिता किशनलाल 1/4, देवीलाल, शान्तिबाई, चपलीबाई, लीलाबाई, गंगाबाई पिता प्यारा मु. कस्तुरी बाई बेवा प्यारा 1/4, श्रीमति बालीबाई पिता प्यारा 1/4 कुम्हार के नाम दर्ज की जावें । उक्त निर्णय की पालना में पटवारी को नामांतरण खोलने के निर्देश दिये थे लेकिन नामांतरण नही खोला गया । तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि उक्त नामांतरण की पालना नही हुई ।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गयी जिसके तहत लिपिकीय की त्रुटि को दुरस्त किया जाता हैं । उक्त प्रकरण में ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि प्रतीत [illegible] है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवम् **तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण संख्या 47/2012 निर्णय दिनांक 14.08. 2012 जिसकी पालना प[illegible] जाकर नामांतरण निर्णित होना था जिसको नही करने के कारण प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र को पेश किया गया । अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता हैं कि आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 47/2012 दिनांक 14.08.2012 की नियमानुसार पालना करे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:58 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर **तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता हैं कि आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 47/2012 दिनांक**

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

14.08.2012 निर्णय की नियमानुसार पालना करावें एवम् नामांतरण की कार्यवाही करावें । निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजा जावें ।

6. निर्णय खुले इजलास सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

26/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:58 IST
Reason: SelfAttested